न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/156/2021	08–10–2021	20–09–2022

01– रामस्वरूप पुत्र गणपत मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम चौढाणीया, तहसील बानसूर जिला अलवर ।

–: अपीलाण्ट

बनाम

01– सरकार जर्ये जर्ये पटवारी हल्का नांगल लाखा तहसील बानसूर जिला अलवर।
02– तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

–: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 09.09.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 23/2020

उपस्थितः–
01–श्री राजेश कुमार गुप्ता –वकील अपीलाण्ट
02–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 09.09.2020 प्रकरण संख्या 23/2020 जिसके द्वारा सम्वत 2077 में अपीलान्ट को ग्राम चौढणिया तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 662 रकबा 8.11 है0 किस्म चारागाह में से 0.50 है0 में बाजरा की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर की गई बेदखली/पैनल्टी/3 माह का सिविल कारावास की सजा से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 662 रकबा 8.11 है0 के लगते हुऐ आपीलान्ट की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है, अपीलान्ट द्वारा अपनी आराजी पर काश्त की गयी है। किसी सरकारी, गैरसरकारी या अन्य भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा तहत अदालत के समक्ष ग्राम चौढणीया पटवार हल्का नांगल लाखा तहसील बानसूर की चारागाह आराजी खसरा न0 662 रकबा 8.11 है0 में से 0.50 है0 भूमि पर अवैध रूप से अपीलान्ट द्वारा बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण किये जाने बाबत शिकायत पेश की गयी है। जिस पर प्रकरण दर्ज कर धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम का नोटिस जारी किया जाकर दिनाक 09.09.2020 को आलोच्य आदेश पारित करते हुऐ अतिक्रमी रामस्वरूप पुत्र गणपत जाति मीणा को आराजी खसरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

न0 662 किस्म चारागाह वाके ग्राम चौढाणिया पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुऐ मौके से बैदखली/पैलन्टी/तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 09.09.2020 की जाकारी सर्वप्रथम मिन अपीलान्ट को दिनाक 25.11.2020 को उस समय हुई जब पटवारी हल्का ने ग्राम में आकर बताया कि अपीलान्ट के विरूद्व तहसीलदार बानसूर के द्वारा एक तरफा मे फैसला कर दिया है, जिस पर अपीलान्ट ने तुरन्त तहत अदालत के आलोच्य आदेश की नकल हेतु आवेदन किया गया जिस पर नकल दिनाक 26.11.2020 को तैयार होकर प्राप्त हुयी। जिस पर बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है, आलोच्य आदेश दिनाक 09.09.2020 से जानकारी की दिनाक 25.11.2020 तक का समय लाईल्मी होने के कारण कन्डोन किये जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद अधिनियम पेश कर अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.09.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा राजकीय भूमि चारागाह में अतिक्रमण पाये जाने पर विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित प्रकियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2020 के विरूद्व न्यायालय हाजा को दिनाक 14.12.2020 को पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.09.2020 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 25.11.2020 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 662 रकबा 8.11 है0 के लगते हुऐ आपीलान्ट की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है, अपीलान्ट द्वारा अपनी आराजी पर काश्त की गयी है। किसी सरकारी, गैरसरकारी या अन्य भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। आराजी खसरा न0 662 रकबा 8.11 है0 में से 0.50 है0 भूमि पर अवैध रूप से अपीलान्ट द्वारा बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण किये जाने बावत शिकायत पेश की गयी है। जिस पर प्रकरण दर्ज कर धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम का नोटिस जारी किया जाकर दिनाक 09.09.2020 को आलोच्य आदेश पारित करते हुऐ अतिक्रमी रामस्वरूप पुत्र गणपत जाति मीणा को आराजी खसरा न0 662 किस्म चारागाह वाके ग्राम चौढाणिया पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते कार्यवाही की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया पटवारी हल्का नांगल लाखा द्वारा दिनांक 10.07.2020 को सम्वत 2077 में अपीलान्ट को ग्राम चौढाणिया तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 662 रकबा 8.11 है0 किस्म चारागाह में से 0.50 है0, में बाजरा की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसके आधार पर अतिक्रमी को धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनाक 24.07.2020 को तलब किया गया जारी नोटिस की पुख्ता तामील रिपोर्ट न होने के कारण पुनः नोटिस जारी कर दिनाक 18.08.2020 को उपस्थित होने हेतु जारी किया गया। जारी नोटिस की तामील अदम तामील होकर प्राप्त हुई है, जो पत्रावली में शामील मिसल है। आदेशिका दिनाक 18.08.2020 में जारी नोटिस की तामील अदम तामील प्राप्त होने के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

बावजुद अतिकमी को अनुपस्थित दर्शाया गया है, जो एक विधिक कार्यवाही नहीं है, अर्थात अतिक्रमी को बिना नोटिस दिये। बिना तामील रिपोर्ट के एक तरफा में निर्णय पारित किया गया ह, जो उचित नहीं है। निर्णय अपास्त कर पुनः सुनवाई का अवसर देकर कार्यवाही किये जाने हेतु रिमाण्ड़ किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहत अदालत का निर्णय 09.09.2020 निरस्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट को सुनवाई पर्याप्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में विधिवत निस्तारण अन्दर 02 माह में करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)